Total Pages-24

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

RJS Mains 2025 - English Language

Time : 3 Hours | Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर "**उत्तर के माध्यम**" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * * * * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

* * * * * * * * *

www.LinkingLaws.com

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE		
Q.NO.	MAX. MARKS	MARKS
1	20	
2	15	
3	15	
Examiner's Remarks (if any)		

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER(S)

www.LinkingLaws.com

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1 **[20 Marks]**

Write an essay on **any one** of the following in about 500 words –

(A) **Artificial Intelligence and legal regulations**

(B) **Judge should live like a hermit and work like a horse**

www.LinkingLaws.com

Question No. 2 **[15 Marks]**

Write an essay on **any one** of the following in about 400 words –

(A) **Rajasthani cuisines**

(B) **Pushkar fare and its cultural significance**

www.LinkingLaws.com

Question No. 3 **[15 Marks]**

Write an essay on **any one** of the following in about 400 words –

(A) **Social Media is growing as an independent pillar of Indian Democracy**

(B) **Duty of Media : Inform the public or effect the opinion of public**

www.LinkingLaws.com

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

RJS Mains 2025 - Hindi Language

Time : 3 Hours | Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये पलेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. पलेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * * * * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

* * * * * * * * * *

www.LinkingLaws.com

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE		
Q.NO.	**MAX. MARKS**	**MARKS**
1	20	
2	15	
3	15	
Examiner's Remarks (if any)		

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER(S)

www.LinkingLaws.com

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

प्रश्न संख्या – 1 **[20 Marks]**

निम्नलिखित में से **किसी एक पर** अधिकतम 600 शब्दों में निबन्ध लिखिए–

(अ) **बुलडोज़र न्याय : कितना सही कितना गलत**

(ब) **मानसिक परिपक्वता की आयु – 16 वर्ष या 18 वर्ष**

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या – 2 **[15 Marks]**

निम्नलिखित में से **किसी एक** पर अधिकतम 450 शब्दों में निबंध लिखिए।

(अ) **राजस्थान के स्थानीय शिल्प : मिट्टी, लकड़ी और बुनाई**

(ब) **राजस्थान में कृषि और ग्रामीण जीवन**

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या – 3 **[15 Marks]**

निम्नलिखित में से **किसी एक पर** अधिकतम 450 शब्दों में निबंध लिखिए –

(अ) **क्रिप्टो करेन्सी और ब्लॉक चेन : भारत में कानूनी ढांचा**

(ब) **प्रकृति का अजब खेल : कहीं सूखा कहीं बाढ़**

www.LinkingLaws.com

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

RJS Mains 2025 - Law Paper - I

Time : 3 Hours | Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने मे भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * * * * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

* * * * * * * * * *

www.LinkingLaws.com

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE					
Q.NO.	Max. MARKS	MARKS	Q.NO.	Max. MARKS	MARKS
1	3		12	4	
2	3		13	4	
3	3		14	4	
4	3		15	4	
5	3		16	4	
6	3		17	4	
7	3		18	6	
8	3		19	6	
9	4		20	8	
10	4		21	10	
11	4		22	10	
Examiner's Remarks (if any)					

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER(S)

www.LinkingLaws.com

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1 **[03 Marks]**

Explain the procedure of execution of documents in compliance of the decree passed by the court.

प्रश्न संख्या 1

न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में दस्तावेजों के निष्पादन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 2 **[03 Marks]**

Analogs to Public Interest Litigation, the Civil court is also empowered to entertain the suit of public interest. Explain in detail the competence and procedure to file such suit.

प्रश्न संख्या 2

जनहित याचिका की तर्ज पर सिविल न्यायालय को भी जनहित का दावा सुनने का अधिकार है। ऐसा दावा प्रस्तुत करने के लिए सक्षमता एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन करें।

www.LinkingLaws.com

Question No. 3 **[03 Marks]**

What is external aid to construction of an Act? Explain.

प्रश्न संख्या 3

किसी अधिनियम के निर्माण के लिए बाह्य सहायता क्या है? स्पष्ट कीजिए।

Question No. 4 **[03 Marks]**

Once a debt is barred by limitation, part-payment thereof does not operate to extend or revive the limitation period. Explain the legality of this statement.

Under which circumstances debt can be restored after lapse of the limitation period.

प्रश्न संख्या 4

एक बार जब ऋण परिसीमा से बाधित हो जाता है, तो उसके आंशिक भुगतान से परिसीमा की अवधि बढ़ाई या पुनर्जीवित नहीं की जा सकती है। इस कथन की वैधता की व्याख्या करें।

किन परिस्थितियों में परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऋण को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

www.LinkingLaws.com

Question No. 5 **[03 Marks]**

"Time is not essence of the contract in case of contracts relating immovable property." Explain this statement with the help of decided case law. Also state the exceptions to this statement.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 5

"स्थावर सम्पत्ति की संविदा के मामले में समय संविदा का सार नहीं होता है।"

इस कथन को निर्णयज विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इस कथन के अपवाद भी बताइये।

www.LinkingLaws.com

Question No. 6 **[03 Marks]**

Under following conditions, how the court fees shall be calculated in the suit for partition and to determine the separate share of joint undivided property of the family?

A. By a plaintiff who has been excluded from possession - the suit is filed for seeking relief of separate possession, on exclusion from possession.

B. Where the suit is filed for partition of the plaintiff's share in the jointly possessed property.

प्रश्न संख्या 6

निम्नलिखित दशाओं में, कुटुम्ब की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति के विभाजन तथा पृथक हिस्से के निर्धारण के वाद में, न्यायशुल्क की गणना किस प्रकार की जाएगी?

अ. ऐसे वादी द्वारा जिसे कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया हो – कब्जे से बेदखल किए जाने पर, दावा पृथक कब्जा चाहने के अनुतोष के लिए दायर किया गया हो।

ब. जहां दावा, संयुक्त कब्जे वाली सम्पत्ति में वादी के हिस्से के विभाजन हेतू प्रस्तुत किया गया हो।

www.LinkingLaws.com

Question No. 7 **[03 Marks]**

Explain the penalty/punishment and provisions thereof, for the unauthorized occupant of revenue land, in case of appearance after notice and non-appearance after notice, under the provisions of Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

प्रश्न संख्या 7

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राजस्व भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारी को नोटिस दिए जाने के पश्चात् उपस्थित होने की स्थिति में व उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दण्ड/जुर्माना तथा उसके प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 8 **[03 Marks]**

In a suit of specific performance of unregistered agreement of immovable property, defendant took a defence that the suit is not maintainable because the document is not registered. Explain with the help of case laws about the admissibility and use of such unregistered agreement in evidence.

प्रश्न संख्या 8

स्थावर सम्पत्ति के मामले में, अपंजीकृत इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के दावे में प्रतिवादी यह बचाव लेता है कि दस्तावेज पंजीकृत न होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। इस अपंजीकृत करार की साक्ष्य में ग्राह्यता व उपयोग को निर्णित विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 9 **[04 Marks]**

In which cases the landlord has a right to recover immediate possession. Explain with the help of relevant provision of the Rajasthan Rent Control Act, 2001.

प्रश्न संख्या 9

किन मामलों में भूस्वामी को तुरन्त कब्जा पुनः प्राप्ति का अधिकार है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के सुसंगत प्रावधान की सहायता से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 10 **[04 Marks]**

'A', a nationalized bank gave loan to 'B', a company on 01.01.2015. 'B' did not make payment and 'A' recalled the loan and demanded the loan amount vide notice dated 01.01.2017. 'B' did not pay even after the notice and also not replied the notice. An audit team visited the Bank. During the ongoing audit in the Bank, 'A' demanded the balance sheet from 'B' to be shown to audit team. 'B' sends the balance sheet, account statement etc. signed by the Directors of the company on 10.10.2017 to 'A'. The balance sheet, account statement etc. shows the entries of loan and outstanding amount of loan. Thereafter, bank 'A' filed suit on 01.01.2019 against 'B' for recovery of loan amount. 'B' contended that the suit is barred by limitation. Decide with the help of relevant case laws.

प्रश्न संख्या 10

''क'', एक राष्ट्रीयकृत बैंक ''ख'', एक कम्पनी को दिनांक 01.01.2015 को ऋण देता है। ''ख'' भुगतान नहीं करता है तथा ''क'' ऋण का तकाजा करता है तथा नोटिस दिनांक 01.01.2017 के जरिए ऋण राशि की मांग करता है। ''ख'' नोटिस के बावजूद भी अदायगी नहीं करता है एवं नोटिस का जवाब भी नहीं देता है। एक लेखा परीक्षक दल बैंक का दौरा करता है। बैंक में लेखा परीक्षण के दौरान, ''क'' ''ख'' से लेखा परीक्षक दल को दिखाने के लिए बैलेन्स शीट मांगता है। दिनांक 10.10.2017 को ''ख'' कम्पनी के निदेशकों से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट, खाता विवरण आदि ''क'' को भेजता है। बैलेन्स शीट, खाता विवरण आदि ऋण तथा ऋण की बकाया राशि की प्रविष्टियां दर्शित करती हैं। उसके बाद, दिनांक 01.01.2019 को बैंक ''क'' एक वाद ''ख'' के विरुद्ध ऋण की राशि की अदायगी के लिए दायर करता है। ''ख'' प्रतिरोध करता है कि वाद समयावधि बाधित है। सुसंगत निर्णित विधि की सहायता से तय कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 11 **[04 Marks]**

What are the categories of infrastructure projects specified in the schedule of Specific Relief Act? What are the special provisions for contract relating to infrastructure projects. Explain with the help of relevant provisions.

प्रश्न संख्या 11

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की अनुसूची में अवसंरचना परियोजनाओं के प्रवर्ग क्या हैं? अवसंरचना परियोजनाओं से संबन्धित संविदा के लिये क्या विशेष प्रावधान हैं? सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 12 **[04 Marks]**

Write a short note upon any two of the following-

A. Doctrine of Pith and Substance

B. Doctrine of Colourable Legislation

C. Doctrine of Eclipse

प्रश्न संख्या 12

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

क. सार और तत्त्व का सिद्धान्त

ख. छद्म विधायन का सिद्धान्त

ग. आच्छादन का सिद्धान्त

A. Doctrine of Pith and Substance

क. सार और तत्त्व का सिद्धान्त

B. Doctrine of Colourable Legislation

ख. छद्म विधायन का सिद्धान्त

www.LinkingLaws.com

C. Doctrine of Eclipse

ग. आच्छादन का सिद्धान्त

www.LinkingLaws.com

Question No. 13 **[04 Marks]**

"Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, it cannot be 'cribbed, cabined and confined' within traditional and doctrinaire limits."

Explain in the light of above statement the test for valid classification with the help of relevant case law.

प्रश्न संख्या 13

"समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है, इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर 'संकीर्ण, सीमाबद्ध और प्रतिबंधित' नहीं किया जा सकता है।"

उपरोक्त कथन के प्रकाश में सुसंगत निर्णित विधि की सहायता से वैध वर्गीकरण के परीक्षण की व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 14 **[04 Marks]**

Ram instituted a suit against Suresh for specific performance of a written contract and also seeks relief that the contract may be reformed as to one of its provisions, as that provision was inserted in it by mistake. Whether Ram can prove by oral evidence that such a mistake was made? Explain with the help of relevant provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 14

राम एक लिखित संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए सुरेश के विरुद्ध एक वाद संस्थित करता है तथा यह अनुतोष भी चाहता है कि उस संविदा के प्रावधानों में से एक में सुधार किया जाए चूंकि वह प्रावधान गलती से इसमें शामिल कर दिया गया। क्या राम मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकता है कि ऐसी गलती हो गई थी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के सुसंगत प्रावधानों की मदद से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 15 **[04 Marks]**

Rules of evidence are generally the same in civil and criminal proceedings. Give the exceptions, if any, with the help of relevant provisions.

प्रश्न संख्या 15

सिविल एवं दाण्डिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के नियम सामान्यतः समान हैं। अपवाद, यदि कोई हों, सुसंगत प्रावधानों की सहायता से बताइए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 16 **[04 Marks]**

Explain briefly any **two** of the following–

A. Effects of non-registration of firm

B. Doctrine of Caveat Emptor and its exceptions

C. Right of Lien and termination of unpaid seller

D. Duration of the unpaid seller's right of stoppage of goods in transit

प्रश्न संख्या 16

निम्न में किन्हीं **दो** की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए –

क. फर्म के अपंजीयन के प्रभाव

ख. क्रेता सावधान का सिद्धान्त व इसके अपवाद

ग. असंदत्त विक्रेता का धारणाधिकार व समाप्ति

घ. असंदत्त विक्रेता के माल को परिवहन में रोकने के अधिकार की अवधि

A. Effects of non-registration of firm

क. फर्म के अपंजीयन के प्रभाव

www.LinkingLaws.com

B. Doctrine of Caveat Emptor and its exceptions

ख. क्रेता सावधान का सिद्धान्त व इसके अपवाद

C. Right of Lien and termination of unpaid seller

ग. असंदत्त विक्रेता का धारणाधिकार व समाप्ति

www.LinkingLaws.com

D. Duration of the unpaid seller's right of stoppage of goods in transit

घ. असंदत्त विक्रेता के माल को परिवहन में रोकने के अधिकार की अवधि

www.LinkingLaws.com

Question No. 17 **[04 Marks]**

Explain in detail the "KARABAT" and "MUSHARAT" in the context of Muslim marriage.

प्रश्न संख्या 17

मुस्लिम विवाह के परिप्रेक्ष्य में "क़राबत" व "मुशारत" को विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 18 **[06 Marks]**

Write a short note on any **three** of the following –

A. Substituted Service

B. Attachment before judgement

C. Legal Representative

D. Settlement of disputes outside the court

E. Restitution

प्रश्न संख्या 18

निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

क. प्रतिस्थापित तामील

ख. निर्णय से पूर्व कुर्की

ग. विधिक प्रतिनिधि

घ. न्यायालय के बाहर विवादों का निस्तारण

य. प्रत्यास्थापन

www.LinkingLaws.com

A. Substituted Service

क. प्रतिस्थापित तामील

B. Attachment before judgement

ख. निर्णय से पूर्व कुर्की

www.LinkingLaws.com

C. Legal Representative

ग. विधिक प्रतिनिधि

D. Settlement of disputes outside the court

घ. न्यायालय के बाहर विवादों का निस्तारण

www.LinkingLaws.com

E. Restitution

य. प्रत्यास्थापन

www.LinkingLaws.com

Question No. 19 **[06 Marks]**

What are the rights and liabilities of buyer and seller? Explain with the help of relevant provisions under the Transfer of Property Act, 1882.

प्रश्न संख्या 19

क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व क्या हैं? संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सुसंगत प्रावधानों की मदद से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 20 **[08 Marks]**

Write short note on the following-

A. Voidable marriage under Hindu Marriage Act, 1955

B. General Rules of Succession in the case of female Hindu, died intestate

C. Facts to be kept in mind by the court while determining the amount of maintenance under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

D. Guardians of the person and property of a minor under Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

प्रश्न संख्या 20

निम्न पर लघु लेख लिखिए–

अ. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शून्यकरणीय विवाह

ब. हिन्दू महिला की निर्वसीयत मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियम

स. हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरणपोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भरणपोषण की राशि के निर्धारण के समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य

द. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अपत्य के शरीर एवं सम्पत्ति के संरक्षक

www.LinkingLaws.com

A. Voidable marriage under Hindu Marriage Act, 1955

अ. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शून्यकरणीय विवाह

B. General Rules of Succession in the case of female Hindu, died intestate

ब. हिन्दू महिला की निर्वसीयत मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियम

www.LinkingLaws.com

C. Facts to be kept in mind by the court while determining the amount of maintenance under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

स. हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरणपोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भरणपोषण की राशि के निर्धारण के समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य

www.LinkingLaws.com

D. Guardians of the person and property of a minor under Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

द. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अपत्य के शरीर एवं सम्पत्ति के संरक्षक

www.LinkingLaws.com

Question No. 21 **[10 Marks]**

The applicant/plaintiff has filed a civil suit seeking permanent injunction against the non-applicant/defendant (Municipality), restraining it from dispossessing him from the suit land. Along with the plaint, the applicant also filed an application under Order XXXIX Rules 1 & 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 for grant of temporary injunction.

The applicant stated that he is in possession of the suit land for several years and has raised temporary structures. The Municipality is threatening to demolish his possession without following due process of law. Balance of convenience is in his favour and he will suffer irreparable loss if injunction is not granted.

Non-applicant (Municipality) stated that the suit land belongs to the Municipality as per revenue records, and the applicant is in unauthorised possession. The applicant has approached the Court after considerable delay, only when eviction proceedings were initiated. The applicant has not come with clean hands, has suppressed material facts, and is trying to protect his illegal possession. The Municipal Authorities have already passed an eviction order against the applicant, which is appealable under the Municipal law, and hence an equally efficacious alternative remedy is available. Therefore, the applicant has no prima facie case or equity in his favour.

On the basis of the above facts, write a reasoned order.

प्रश्न संख्या 21

प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी (नगरपालिका) के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का एक दिवानी दावा वादग्रस्त भूमि से बेदखली से रोके जाने के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के साथ प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उसका वादग्रस्त भूमि पर कई वर्षों से कब्जा है तथा उसके द्वारा अस्थाई निर्माण भी किया गया है। नगरपालिका, विधि की सम्यक अनुपालना किए बिना उसके कब्जे से बेदखल

www.LinkingLaws.com

करने की धमकी दे रही है। सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है व यदि अस्थाई निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की जाती है तो उसे अपूर्तनीय क्षति होगी।

अप्रार्थी नगरपालिका द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार नगरपालिका की है तथा प्रार्थी का उस पर अनाधिकृत कब्जा है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष काफी विलम्ब से तब आया है, जब बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, तात्विक तथ्य छिपाए हैं तथा अपने अवैध कब्जे को संरक्षित करवाना चाहता है। नगरपालिका प्राधिकारों द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में ही बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है जो नगरपालिका विधि के अंतर्गत अपील योग्य है, इस प्रकार प्रभावी रूप से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथमदृष्ट्या मामला या साम्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सकारण आदेश लिखिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 22 **[10 Marks]**

The plaintiff, Saurabh, claims to be the adopted son of late Hari Shankar and his widow, Shakuntala (defendant No. 1). Hari Shankar died in 2015 leaving behind his widow Shakuntala as his sole heir. In 2018, Shakuntala adopted Saurabh through a registered adoption deed, even though Saurabh was already married at that time.

After the adoption, Shakuntala executed a registered sale deed in 2020 in favour of defendant No. 2 Ramesh, selling the immovable property which originally belonged to her late husband, Hari Shankar.

The plaintiff Saurabh filed a suit seeking cancellation of the sale deed and declaration of his rights in the property.

Plaintiff's Contention:

By virtue of valid adoption, he became the son of Shakuntala and Hari Shankar. Under the Doctrine of Relation Back, his adoption dates back to the death of Hari Shankar, and thus he is deemed to have been in existence as Shakuntala's son at the time of Hari Shankar's death. Therefore, Shakuntala alone had no right to alienate the property after Hari Shankar's death, and the sale deed executed by her in favour of defendant No. 2 is void and not binding upon the plaintiff.

Defendant Shakuntla, while filing the written statement, contended that she was the sole heir after Hari Shankar's death and had every right to dispose of the property. The adoption is invalid and hence, plaintiff acquired no right. She executed the sale deed in 2020 much before the plaintiff challenged it, and Ramesh is a bonafide purchaser for value without notice. The Doctrine of Relation Back is not applicable.

On the basis of the above facts, frame the issues and write a reasoned judgement.

प्रश्न संख्या 22

वादी सौरभ, मृतक हरिशंकर व उसकी विधवा शकुन्तला (प्रतिवादी संख्या 1) का दत्तक पुत्र होने का अभिकथन करता है। हरिशंकर की मृत्यु 2015 में हुई, जो अपने पीछे अपनी विधवा शंकुतला को एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गया। वर्ष 2018 में शकुन्तला द्वारा पंजीकृत दत्तक–विलेख के जरिए सौरभ

www.LinkingLaws.com

को गोद लिया गया यद्यपि सौरभ उस समय पूर्व से ही विवाहित था। दत्तकग्रहण के पश्चात वर्ष 2020 में शकुन्तला द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति जो कि मूलतः उसके मृतक पति हरिशंकर की थी, का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 रमेश के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया।

वादी सौरभ द्वारा एक वाद, विक्रय पत्र को निरस्त करने एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया।

वादी का अभिकथन :

वैध दत्तकग्रहण के कारण वह शकुन्तला व हरिशंकर का पुत्र हो गया। पूर्व सम्बन्ध के सिद्धान्त के अंतर्गत उसका दत्तकग्रहण हरिशंकर की मृत्यु की तारीख से पूर्व का था एवं इस प्रकार उसे मृतक हरिशंकर की मृत्यु के समय शकुंतला के पुत्र के रूप में अस्तित्व में माना जाएगा। इस प्रकार, अकेले शकुन्तला को हरिशंकर की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति के स्थानान्तरण का अधिकार नहीं था व प्रतिवादी रमेश के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र शून्य है तथा वादी पर आबद्धकारी नहीं है।

प्रतिवादी शकुन्तला की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया है कि मृतक हरिशंकर की मृत्यु के पश्चात् वह एकमात्र उत्तराधिकारी थी तथा उसे सम्पत्ति का निस्तारण करने का प्रत्येक अधिकार था। दत्तकग्रहण अमान्य है अतः वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। उसके द्वारा विक्रय पत्र, चुनौती दिए जाने के काफी समय पूर्व वर्ष 2020 में निष्पादित किया गया था। रमेश सप्रतिफल बिना सूचना के एक सद्भाविक क्रेता है। पूर्व सम्बन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर विवाद्यकों की विरचना कीजिए तथा सकारण निर्णय लिखिए।

 www.LinkingLaws.com

Total Pages-52

CODE NO.
Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

RJS Mains 2025 - Law Paper – II

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर **"उत्तर के माध्यम"** के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

****

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of **"Medium of Answer"** on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

****

www.LinkingLaws.com

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE

Q.NO.	Max. MARKS	MARKS	Q.NO.	Max. MARKS	MARKS
1	3		13	3	
2	3		14	3	
3	3		15	4	
4	3		16	4	
5	3		17	4	
6	3		18	4	
7	3		19	4	
8	3		20	6	
9	3		21	6	
10	3		22	6	
11	3		23	10	
12	3		24	10	

Examiner's Remarks (if any)

GRAND TOTAL: IN FIGURES .....

IN WORDS .....

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER(S)

www.LinkingLaws.com

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1 **[3 Marks]**

A Judgement has been given that the accused is guilty of either the offence of "Intentional omission to give information of an offence despite being legally bound to inform" or the offence of "Giving false information respecting an offence committed", but that it is doubtful of which of above offences, he is guilty. Explain with relevant provisions of law, for which offence, accused shall be punished?

प्रश्न संख्या 1

एक निर्णय दिया जाता है कि अभियुक्त या तो "इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होने के बावजूद अपराध की इत्तिला देने में साशय लोप" या "किए गये अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना" के अपराध का दोषी है परन्तु यह संदेहपूर्ण है कि वह उक्त में से किस अपराध का दोषी है। विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए, अभियुक्त को किस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा?

www.LinkingLaws.com

Question No. 2 **[3 Marks]**

Roads were blocked by farmers. A battalion of C.R.P.F. under the supervision of its commander Hargovind was deployed there, to maintain law & order. Hargovind was specifically directed by higher authorities, not to open fire in any circumstances. One day, Hargovind ordered constable Ramesh to open fire on the mob and on receipt of such command, Ramesh opened fire on the mob. As a result of which, 02 farmers died. What offence did Ramesh commit? Explain with relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 2

किसानों द्वारा सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, सी.आर.पी.एफ.की एक बटालियन इनके कमान्डर हरगोविन्द के पर्यवेक्षण में वहां पर तैनात की गई। हरगोविन्द को किसी भी परिस्थिति में गोली नहीं चलाये जाने के उच्च अधिकारियों के विशिष्ट निर्देश थे। एक दिन, हरगोविन्द ने कांस्टेबल रमेश को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया एवं ऐसा आदेश मिलने पर रमेश ने भीड़ पर गोली चला दी। जिसके परिणामस्वरूप, दो किसानों की मृत्यु हो गई। रमेश ने क्या अपराध कारित किया? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 3 **[3 Marks]**

What do you mean by "Stalking"? Explain.

प्रश्न संख्या 3

''पीछा करना'' से आप क्या समझते हैं? समझाइए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 4 **[3 Marks]**

Explain briefly the protections of members of the armed forces from arrest.

प्रश्न संख्या 4

सशस्त्र बलों के सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 5 **[3 Marks]**

What is the procedure of the evidence of the officers of the Mint, any Note Printing Press etc. Explain with the relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 5

टकसाल, नोट छपाई मुद्रणालय आदि के अधिकारियों की साक्ष्य की क्या प्रक्रिया है? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

 www.LinkingLaws.com

Question No. 6 **[3 Marks]**

A. What is the effect of errors while framing of charge? Explain briefly.

B. On 18th of January, 2020 Sub-Inspector Ramswaroop in discharge of his official duties, went to arrest Shyam, the accused of the murder of Harswaroop, committed on 17th of January, 2020. Shyam committed murder of Ramswaroop. Trial of both the offences started. When he was charged for the murder of Harswaroop, he was tried for the murder of Ramswaroop and the witnesses present in his defence were witnesses in the case of Harswaroop. Explain with relevant provisions of law, whether the error was material?

प्रश्न संख्या 6

अ. आरोप विरचित करने में की गई गलतियों का क्या प्रभाव है? संक्षेप में समझाइए।

ब. दिनांक 18 जनवरी, 2020 को उप–निरीक्षक रामस्वरूप अपने पदीय कर्तव्यों के विधिपूर्ण निर्वहन में, दिनांक 17 जनवरी, 2020 को हुई हरस्वरूप की हत्या के अभियुक्त श्याम को गिरफ्तार करने गया। श्याम, रामस्वरूप की हत्या कारित कर देता है। दोनों अपराधों का विचारण हुआ। जब हरस्वरूप की हत्या के लिए आरोप लगाया गया तो उसका रामस्वरूप की हत्या के लिए विचारण हुआ और प्रतिरक्षा में जो साक्षी उपस्थित हुए, वे साक्षी हरस्वरूप वाले मामले के साक्षी थे। विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए कि क्या यह गलती तात्विक थी?

www.LinkingLaws.com

Question No. 7 **[3 Marks]**

'A' an accused voluntarily made confession before 'B' that he along with 'C' murdered 'D'. Under what circumstances, such confession of 'A' can be taken into consideration against 'C'? Explain with the help of relevant provisions and decided case laws.

प्रश्न संख्या 7

'क' एक अपराध के अभियुक्त ने स्वेच्छया 'ख' के समक्ष संस्वीकृति की कि उसने 'ग' के साथ मिलकर 'घ' की हत्या की थी । किन परिस्थितियों में 'क' की यह संस्वीकृति 'ग' के विरुद्ध विचार में ली जा सकती है। सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णित विधि की सहायता से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 8 **[3 Marks]**

"A PERSON MAY LIE, BUT CIRCUMSTANCES DO NOT."

With reference to above statement, in the light of Locard Exchange Principle, explain the expectations to prove the case based on circumstantial evidence, before the court.

प्रश्न संख्या 8

"व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं।"

उपरोक्त कथन के संदर्भ में, लोकार्ड विनिमय के नियम के परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय के समक्ष, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले को साबित करने की अपेक्षाओं को स्पष्ट कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 9 **[3 Marks]**

Explain briefly the duties of "Probation Officers" under the Probation of Offenders Act, 1958.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 9

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत "परिवीक्षा अधिकारी" के कर्तव्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 10 **[3 Marks]**

Explain any **two** of the following in view of the definitions provided under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005–

A. Shared household

B. Monetary relief

C. Respondent

प्रश्न संख्या 10

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्णित परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किन्ही **दो** को स्पष्ट कीजिए।

अ. साझी गृहस्थी

ब. धनीय अनुतोष

स. प्रत्यर्थी

A. Shared household

अ. साझी गृहस्थी

B. Monetary relief

ब. धनीय अनुतोष

 www.LinkingLaws.com

C. Respondent

स. प्रत्यर्थी

Question No. 11 **[3 Marks]**

During proceedings under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, the question arises that a person is child or not. How the court shall determine this question? Explain with the help of legal provisions.

प्रश्न संख्या 11

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति बालक है या नहीं। इस प्रश्न का निर्धारण न्यायालय किस प्रकार से करेगा? विधिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

 www.LinkingLaws.com

Question No. 12 **[3 Marks]**

Under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, what is the meaning of **"Alternate punishment"**?

प्रश्न संख्या 12

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत, **"आनुकल्पिक दण्ड"** से क्या तात्पर्य है?

www.LinkingLaws.com

Question No. 13 **[3 Marks]**

Complaint of sexual harassment under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, can be made by whom, to whom and within how much period? Whether it is necessary to make such complaint in writing? Explain in brief.

प्रश्न संख्या 13

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद किसके द्वारा, किसको एवं कितनी समयावधि में प्रस्तुत किया जाएगा? क्या ऐसा परिवाद लिखित में पेश किया जाना आवश्यक है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 14 **[3 Marks]**

Under what circumstances, Certifying Officer may revoke a digital signature certificate issued by it? Explain with the help of legal provisions.

प्रश्न संख्या 14

किन परिस्थितियों में, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत कर सकता है? विधिक प्रावधानों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 15 **[4 Marks]**

Under the provisions of Rajasthan Excise Act, 1950, explain the powers of Excise Officers to compound the offences, with reference to the legal provisions.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 15

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत, अपराधों का शमन करने की आबकारी अधिकारियों की शक्तियों की, विधिक प्रावधानों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 16 **[4 Marks]**

What do you mean by "Trafficking of person"? What is the effect of the consent of the victim in such offence? Explain with the relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 16

''व्यक्ति का दुर्व्यापार'' से आप क्या समझते हैं? ऐसे अपराध में पीड़ित की सम्मति का क्या प्रभाव है? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 17 **[4 Marks]**

What is the procedure of issuance of warrant of search of place suspected to contain stolen property, forged documents or other objectionable articles and what are those objectionable articles? Explain with relevant provisions of law.

प्रश्न संख्या 17

उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित दस्तावेजों या अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं के होने का संदेह है, के लिए वारण्ट जारी करने की क्या प्रक्रिया है तथा वे आपत्तिजनक वस्तुएं कौन–कौन सी हैं? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 18 **[4 Marks]**

As per the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, what are the expectations to make the electronic record admissible in evidence? Explain with the legal provisions.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 18

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए क्या–क्या अपेक्षाएं हैं? विधिक प्रावधानों सहित स्पष्ट कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 19 **[4 Marks]**

Explain the various presumptions mentioned in the Negotiable Instruments Act, 1881.

प्रश्न संख्या 19

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में वर्णित विभिन्न उपधारणाओं की व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 20 **[6 Marks]**

Differentiate any **three** of the following–

A. Giving False Evidence and Fabricating False Evidence

B. Obscenity for the purposes of Indian Penal Code, 1872 and Obscenity for the purposes of The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

C. Criminal Intimidation and Extortion

D. Common Intention and Similar Intention

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 20

निम्न में से किन्हीं **तीन** में अन्तर बताइए–

क. मिथ्या साक्ष्य देना एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना

ख. भारतीय दण्ड संहिता, 1872 के प्रयोजन से अश्लीलता एवं महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 के प्रयोजन से अश्लीलता

ग. आपराधिक अभित्रास एवं उद्दापन

घ. सामान्य आशय एवं समान आशय

A. Giving False Evidence and Fabricating False Evidence

क. मिथ्या साक्ष्य देना एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना

 www.LinkingLaws.com

B. Obscenity for the purposes of Indian Penal Code, 1872 and Obscenity for the purposes of The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

ख. भारतीय दण्ड संहिता, 1872 के प्रयोजन से अश्लीलता एवं महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 के प्रयोजन से अश्लीलता

C. Criminal Intimidation and Extortion

ग. आपराधिक अभित्रास एवं उद्दापन

www.LinkingLaws.com

D. Common Intention and Similar Intention

घ. सामान्य आशय एवं समान आशय

www.LinkingLaws.com

Question No. 21 **[6 Marks]**

What do you mean by "Trial or Judgement in absentia"? What are the circumstances and cases, wherein, a trial can be conducted and Judgement can be pronounced in the absence of the accused? Explain in detail with its procedure and relevant legal provisions.

प्रश्न संख्या 21

"अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण एवं निर्णय" से आप क्या समझते हो? वे कौनसी परिस्थितियां व मामले हैं जिनमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण किया जा सकता है एवं निर्णय पारित किया जा सकता है? प्रक्रिया एवं सम्बन्धित विधिक प्रावधानों सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 22 **[6 Marks]**

With the help of relevant provisions of law, explain the procedure to be adopted by the Juvenile Justice Board and the court, for the heinous offences committed by the child in conflict with law, between 16 to 18 years of age, in such case.

www.LinkingLaws.com

प्रश्न संख्या 22

16 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य की आयु के विधि से संघर्षरत बालक द्वारा कारित जघन्य अपराधों के लिए, उस मामले में, किशोर न्याय बोर्ड एवं न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विधि के सुसंगत प्रावधानों की मदद से व्याख्या कीजिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 23 **[10 Marks]**

Pawan drops his son at the school. When he was sitting in his shop, at 11 am, Manoj comes to his shop and says that "Pawan, your son is in my custody, give me Rs. 50000/- otherwise, I will shoot your child as soon as I leave from here". Fear of the death of his son was caused to Pawan on such statement of Manoj and he immediately gives Rs. 50000/- to Manoj. Pawan immediately goes to the school of his son and finds his son safe in the school. Pawan lodges first information report against Manoj in the police station. After completion of investigation charge sheet filed against Manoj. During trial, statements of Pawan, his son, guard of school, Investigating Officer and Station House Officer had been recorded and all the witnesses had supported the prosecution story.

Frame Charge and write a logical Judgement.

प्रश्न संख्या 23

पवन अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आता है। दिन में 11 बजे जब वह अपनी दुकान में बैठा था, मनोज उसकी दुकान पर आता है और कहता है कि "पवन तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, मुझे 50000 रुपये अभी दे अन्यथा यहां से जाते ही तेरे बेटे को गोली मार दूंगा।" मनोज के इस बयान से पवन को अपने बेटे की मृत्यु का भय कारित हो जाता है तथा वह तुरन्त ही मनोज को 50000 रुपये दे देता है। पवन तुरन्त ही अपने बेटे के स्कूल में जाता है एवं अपने बेटे को स्कूल में सकुशल पाता है। पवन थाने में मनोज के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है। अनुसंधान पूर्ण होने पर मनोज के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया

www.LinkingLaws.com

गया। विचारण के दौरान पवन, उसके बेटे, स्कूल के गार्ड, अन्वेषण अधिकारी तथा थाने के भारसाधक अधिकारी के बयान दर्ज कराए गये और सभी गवाहान द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन किया। आरोप विरचित कीजिए और एक तर्कसंगत निर्णय लिखिए।

www.LinkingLaws.com

Question No. 24 **[10 Marks]**

On 15.07.2025, at approximately 6:30 pm, the complainant Mrs. Chetna, was returning home from the market. The accused, Ami Chand, came from behind and snatched her gold chain. During the snatching of the chain, grievous injuries were caused on her neck. The accused immediately ran away from the spot. During investigation, it was discovered that the accused had sold the stolen chain to a jeweller. The chain was recovered based on the disclosure of the accused. After investigation, Charge Sheet was filed.

Prosecution Evidence:

1. PW 1 Ram Singh, a shopkeeper and PW 2 Hari Singh, a passerby, who had witnessed the snatching and identified the accused.
2. PW 3 Udham Singh, a nearby shopkeeper who produced the CCTV footage, which clearly showed the accused snatching the chain and running away.
3. PW 4 Ishawar Singh, the Investigating Officer.
4. PW 5 Dr. Ramesh, who conducted medical examination of complainant Chetna and proved the medical report.

Defence version:

1. The eyewitnesses gave slightly different descriptions of the accused's clothing and height.
2. The jeweller who received the chain claims that he did not notice the accused selling it, and the chain was recovered only after police questioning.
3. The CCTV footage is partially unclear due to low lighting and only shows a figure running, making identification somewhat difficult.

www.LinkingLaws.com

4. The accused claims that he was elsewhere at that time, supported by a neighbor who saw him near his house.

Frame Charge under relevant sections and write a logical Judgement.

प्रश्न संख्या 24

दिनांक 15.07.2025 को शाम के लगभग साढे छः बजे, शिकायतकर्ता श्रीमती चेतना बाजार से घर लौट रही थी। आरोपी अमीचन्द पीछे से आया और उसके गले से सोने की चेन झपट ली। चेन झपटते समय उसके गले पर गम्भीर उपहति कारित हुई। आरोपी तुरन्त मौके से भाग गया। अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी ने चुराई हुई चेन जौहरी को बेच दी थी। चेन आरोपी के कथनों के आधार पर बरामद की गई। अनुसंधान के बाद अरोप पत्र दाखिल किया गया।

अभियोजन की साक्ष्य –

1. पी.डब्लू. 1 राम सिंह (दुकानदार) और पी.डब्लू. 2 हरि सिंह (राहगीर) जिन्होंने चोरी की घटना देखी और आरोपी की पहचान की।
2. पी.डब्लू. 3 उधम सिंह, पास की दुकान का मालिक, जिसने सीसीटीवी फुटेज पेश की, जिसमें आरोपी को चेन झपटते हुए व भागते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया गया।
3. पी.डब्लू. 4 ईश्वर सिंह, अनुसंधान अधिकारी
4. पी.डब्लू. 5 डॉ. रमेश जिसने शिकायतकर्ता चेतना की चिकित्सा परीक्षा की और मेडिकल रिपोर्ट प्रमाणित की।

बचाव पक्ष का कथन

1. गवाहों ने आरोपी के कपडों व कद का विवरण थोड़ा अलग दिया।
2. जिस जौहरी को चेन बेचा गया उसका कथन है कि उसने आरोपी को चेन बेचते हुए नहीं देखा, चेन केवल पुलिस की पूछताछ के बाद बरामद हुई।
3. सीसीटीवी फुटेज कम रोशनी के कारण आंशिक रूप से अस्पष्ट है और केवल एक अकृति को भागते हुए दिखाती है, जिससे पहचान कुछ कठिन हो जाती है।
4. आरोपी का दावा है कि वह घटना के समय कहीं और था, उसके कथन को एक पड़ोसी द्वारा समर्थन किया गया है, जिसने उसे उसके घर के पास देखा था।

सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित कीजिए और एक तर्कसंगत निर्णय लिखिए।

www.LinkingLaws.com